रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD.NO.D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2007/माघ 18, 1928
No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2007/MAGHA 18, 1928

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 131(अ).—संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 14 अक्तूबर, 2006 को हुई अपनी 5551वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन संकल्प 1718 (2006) (इस आदेश के साथ अनुसूची के रूप में संलग्न है) पारित किया था जिसके अधीन सभी राज्यों से इस संकल्प के पैरा 8 में उल्लिखित कतिपय उपाय करने की अपेक्षा की गयी है ।

और केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन पारित सुरक्षा परिषद् के उक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अंतर्गत एक आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है ।

अत: अब केन्द्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है; अर्थात्–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के संबंध में सुरक्षा परिषद् के संकल्प का क्रियान्वयन आदेश, 2007 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "संकल्प" से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का संकल्प 1718 (2006) अभिप्रेत है जिसे कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य से संबंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत सुरक्षा परिषद् द्वारा 14 अक्तूबर, 2006 को अंगीकार किया गया था ।

(ख) इस आदेश में प्रयुक्त शब्द और पद जो परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे, जो क्रमश: उनकी ऐसी विधियों में हैं ।

3. **संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियां** :—केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित उपाय करने के लिए सभी शक्तियां होंगी–

(क) कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य को अपने राज्यक्षेत्रों अथवा राष्ट्रिकों के माध्यम से अथवा अपने राज्यक्षेत्रों से चलने वाले झंडे लगे जलयानों अथवा वायुयानों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण पर रोक लगाना :

(i) पारंपरिक हथियारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर के लिए यथा परिभाषित किसी प्रकार के युद्धक टैंक, बख्तरबंद युद्धक वाहन, विशाल क्षमता वाली तोपखाना प्रणाली, युद्धक वायुयान, हमलावर हेलिकाप्टर, युद्धक पोत मिसाइल, मिसाइल प्रणाली अथवा पुर्जों सहित संबंधित सामग्रियां अथवा सुरक्षा परिषद के संकल्प 1718 (2006) के पैरा 12 द्वारा स्थापित समिति द्वारा अवधारित मदें;

(ii) दस्तावेज एस/2006/814 और एस/2006/815 की सूचियों में यथा उल्लिखित सभी मदें, सामग्री, उपस्कर, माल और प्रौद्यागिकी और सुरक्षा परिषद् अथवा समिति द्वारा निर्धारित अन्य वस्तुएं, सामग्रियां, उपकरण, सामान और प्रौद्यागिकी जिससे कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी अथवा सामूहिक विनाश के हथियारों के कार्यक्रमों में योगदान मिलता हो, जब तक कि संकल्प पारित किये जाने के 14 दिनों के भीतर समिति ने दस्तावेज एस/2006/816 की सूची को ध्यान में रखते हुए उनके उपबंधों को संशोधित अथवा पूरा कर दिया हो;

(iii) विलासिता संबंधी माल;

(ख) कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य से (क) (i), (क) (ii) और (क) (iii) में उल्लिखित किन्हीं मदों में से किसी के भी निर्यात को प्रतिषेध कराना और साथ ही ऐसी मदों के उपापन पर रोक लगाना, चाहे वे कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य राज्यक्षेत्र से न चले हों अथवा इसके झंडे वाले जलयानों अथवा वायुयानों का प्रयोग किया गया हो ।

(ग) कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य को इसके राष्ट्रिकों द्वारा अथवा इसके राज्यक्षेत्र से अथवा कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य से इसके राष्ट्रिकों द्वारा अथवा इसके राज्यक्षेत्र से उपर्युक्त उप-पैरा (क) (i) और (क) (iii) में उल्लिखित मदों के उपबंध, विनिर्माण, अनुरक्षण उपयोग से संबंधित किसी प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण, सलाह, सेवाएं अथवा सहायता पर प्रतिबंध लगाना ।

(घ) उन निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों, जो इस संकल्प के अंगीकृत होने की तारीख पर अथवा उसके पश्चात किसी भी समय, उसके राज्यक्षेत्र में हैं, को तत्काल रोकना, जो समिति द्वारा अथवा सुरक्षा परिषद् द्वारा पदाभिहित व्यक्तियों अथवा इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित हैं क्योंकि उन्हें कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के नाभिकीय संबंधी कार्यक्रमों, सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों और बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी कार्यक्रमों अथवा उन व्यक्तियों अथवा अस्तित्वों, जो उनकी ओर से अथवा उनके निदेश पर कार्य कर रहे हैं, द्वारा उस कार्य को करने अथवा उस कार्य में सहायता देने के लिए लगाया गया है, जिसमें अन्य अवैध साधनों के माध्यम भी सम्मिलित हैं, और यह सुनिश्चित करना कि इसके राष्ट्रिक अथवा इसके राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति अथवा इकाई द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा इकाई के लाभ के लिए निधियां, वित्तीय आस्तियां अथवा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने से रोका जा सके ।

(ङ) अपने राज्यक्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों के, उनके परिवार के सदस्यों सहित, प्रवेश अथवा पारगमन पर रोक लगाना जिन्हें समिति अथवा सुरक्षा परिषद् द्वारा कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की नाभिकीय संबंधित कार्यक्रमों, बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों से जुड़ी कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की नीतियों का समर्थन या संवर्धन सहित अन्य बातों के लिए जिम्मेदार मानती है परन्तु यह कि इस पैरा की कोई बात अपने राज्य में अपने राष्ट्रिकों के प्रवेश से इन्कार करने के लिए बाध्य न करता हो ।

(च) अपने राष्ट्रीय प्राधिकारों और विधानों के अनुसरण में और अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार यथा आवश्यक कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य में जाने वाले स्थोरा और वहां से चलने वाले स्थोरा की जांच सहित नाभिकीय, रासायनिक अथवा जैविक हथियारों, उनके परिदान साधन और इससे संबंधित सामग्रियों के गैर-कानूनी कारोबार पर रोक लगाने के लिए सहयोगी कार्रवाई की पहल करना ।

अनुसूची

संकल्प 1718 (2006)

14 अक्तूबर, 2006 को अपनी 5551वीं बैठक में सुरक्षा परिषद् द्वारा अंगीकृत

सुरक्षा परिषद्,

संकल्प 825 (1993), संकल्प 1540 (2004) और विशेषकर संकल्प 1695 (2006) सहित अपने पूर्व संगत संकल्पों तथा 6 अक्तूबर, 2006 के अपने अध्यक्ष के वक्तव्य (एस./पी.आर. एस.टी./2006/41) का स्मरण करते हुए;

इस बात की पुष्टि करते हुए कि नाभिकीय रासायनिक और जैविक हथियारों तथा उनकी डिलीवरी के साधनों के प्रसार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है;

कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के इस दावे के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि उसने 9 अक्तूबर, 2006 को नाभिकीय शस्त्र का परीक्षण कर लिया है, और उसके प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जो नाभिकीय शस्त्रों के अप्रसार की वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नाभिकीय शस्त्रों के अप्रसार पर हुई संधि और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समक्ष चुनौती खड़ी करता है और इस क्षेत्र तथा इसके बाहर शांति और स्थायित्व के लिए खतरा उत्पन्न करता है;

इस बात के लिए अपनी दृढ़ धारणा व्यक्त करते हुए कि नाभिकीय शस्त्रों के अप्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई रखी जानी चाहिए और इस बात का स्मरण करते हुए कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य नाभिकीय शस्त्रों के अप्रसार पर संधि के अनुरूप नाभिकीय शस्त्र राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है;

कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य द्वारा नाभिकीय शस्त्रों के अप्रसार पर संधि से अपना नाम वापस लेने की घोषणा तथा नाभिकीय शस्त्रों को हासिल करने के उसके प्रयासों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए;

इस बात के प्रति भी दुख व्यक्त करते हुए कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य ने बिना किसी पूर्व शर्त के छह पक्षीय वार्ता में भाग लेने से इंकार कर दिया है;

चीन, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ और अमरीका द्वारा 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए;

इस बात को महत्व प्रदान करते हुए कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षा और मानवीय हितों के प्रति संवेदनशील है;

इसके प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य द्वारा किए गए परीक्षण के दावे से उस क्षेत्र और उसके बाहर तनाव बढ़ गया है और निष्कर्षत: यह निर्धारण करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है ।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तथा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत उपाय करते हुए;

1. कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य द्वारा परिषद् के संगत संकल्पों, विशेषकर संकल्प 1695 (2006) और 6 अक्तूबर, 2006 के अपने अध्यक्ष के व्यक्तव्य (एस./पी.आर.एस.टी./2006/41) की घोर उपेक्षा करके 9 अक्तूबर, 2006 को किए नाभिकीय परीक्षण की निंदा करते हैं और इस प्रकार के परीक्षण की निंदा संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा होगी और यह निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है ।
2. यह मांग करता है कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य कोई अन्य नाभिकीय परीक्षण नहीं करेगा अथवा कोई अन्य बैलिस्टिक मिसाइल नहीं छोड़ेगा ।
3. यह मांग करते हैं कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य नाभिकीय शस्त्रों पर अप्रसार संधि से नाम वापसी की अपनी घोषणा तत्काल वापस ले ।
4. यह भी मांग करता है कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, नाभिकीय शस्त्रों के अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षोपायों पर संधि में दोबारा शामिल हो और हम नाभिकीय शस्त्रों के अप्रसार पर संधि में शामिल सभी राज्य पक्षकारों द्वारा अपनी-अपनी संधि की बाध्यताओं का अनुपालन जारी रखने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ।
5. यह निर्णय लेता है कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित सभी गतिविधियों को समाप्त कर देगा और इस संदर्भ में प्रक्षेपास्त्र छोड़ने पर स्थगन की पूर्व स्थित प्रतिबद्धताएं दोबारा स्थापित करेगा ।
6. यह निर्णय लेता है कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य सभी नाभिकीय शस्त्रों और मौजूदा नाभिकीय कार्यक्रमों को संपूर्ण, सत्यापनीय और अपरिवर्तनी रूप से त्याग देगा और नाभिकीय शस्त्रों पर अप्रसार संधि के अंतर्गत पक्षकरों पर लागू होने वाली प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षोपाय करार (आई.ए.ई.ए.आई.एन.एफ.सी.आई.आर.सी./403) की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और इन अपेक्षाओं के अलावा भी आई.ए.ई.ए. को पारदर्शिता उपाय उपलब्ध कराएगा जिसमें आई.ए.ई.ए. द्वारा यथा आवश्यक और अपेक्षित व्यक्तियों, दस्तावेजों, उपस्करों और सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना भी शामिल है और इसके लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जैसा आई.ए.ई.ए. द्वारा अपेक्षित और आवश्यक समझा जाए ।
7. यह भी निर्णय लेता है कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य मौजूदा अन्य सभी सामूहिक विनाश के शस्त्रों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का संपूर्ण, सत्यपनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग करेगा ।
8. यह निर्णय लेता है कि :

(क) सभी सदस्य राज्य कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य को अपने राज्य क्षेत्रों अथवा राष्ट्रिकों के माध्यम से अथवा अपने ध्वज लगे जलयानों अथवा वायुयानों के माध्यम से, चाहे वह उनके राज्य क्षेत्र से चले हों अथवा नहीं, निम्नलिखित की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, क्रय अथवा हस्तांतरण नहीं करेंगे :

(i) पारंपरिक हथियारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर के प्रयोजनार्थ यथा परिभाषित किसी प्रकार के युद्धक टैंक, बख्तरबंद युद्धक वाहन, विशाल क्षमतावाली तोपखाना प्रणाली, युद्धक वायुयान, हमलावर हेलिकाप्टर, युद्धक पोत, मिसाइल, मिसाइल प्रणाली अथवा पुर्जों सहित संबद्ध सामग्रियां अथवा सुरक्षा परिषद् अथवा नीचे पैरा 12 द्वारा स्थापित समिति द्वारा अवधारित मदें;

(ii) दस्तावेज एस/2006/814 और एस/2006/815 की सूचियों में यथा उल्लिखित सभी मदें, सामग्री, उपस्कर, माल और प्रौद्योगिकी और सुरक्षा परिषद् अथवा समिति द्वारा निर्धारित अन्य वस्तुएं, सामग्रियां, उपकरण, सामान और प्रौद्योगिकी जिससे कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी अथवा सामूहिक विनाश के हथियारों के कार्यक्रमों में योगदान मिलता हो, जब तक कि संकल्प पारित किये जाने के 14 दिनों के भीतर समिति ने दस्तावेज एस/2006/816 की सूची को ध्यान में रखते हुए उनके उपबंधों को संशोधित अथवा पूरा न कर दिया हो;

(iii) **विलासिता संबंधी माल :**

(ख) कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य उपर्युक्त उप पैरा (क)(i) और (क) (ii) में उल्लिखित सभी मदों के निर्यात को बंद कर देगा और यह कि सभी सदस्य राष्ट्र अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा इसके ध्वज वाले जलयानों अथवा वायुयानों का प्रयोग करते हुए कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य से इन वस्तुओं के प्रापण का प्रतिषेध करेगा और चाहे वह कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के राज्यक्षेत्र से क्यों न चले हों;

(ग) सभी सदस्य राज्य कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य को इसके राष्ट्रिकों द्वारा अथवा इसके राज्यक्षेत्र से अथवा कोरिया लोकतांत्रिक

जन गणराज्य से इसके राष्ट्रिकों द्वारा अथवा इसके राज्यक्षेत्र से उपर्युक्त उप-पैरा (क)(i) और (क) (ii) में उल्लिखित मदों के प्रावधान, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा उपयोग से संबंधित किसी प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण, सलाह, सेवाएं अथवा सहायता पर प्रतिबंध लगाना;

(घ) सभी सदस्य राज्य अपनी-अपनी कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसरण में उन निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों जो इस संकल्प के अंगीकृत होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय उनके राज्यक्षेत्र में हैं, को तत्काल रोकना, जो समिति द्वारा अथवा सुरक्षा परिषद् द्वारा पदाविहित व्यक्तियों अथवा इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित हैं क्योंकि उन्हें कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के नाभिकीय संबंधी कार्यक्रमों सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों और बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी कार्यक्रमों अथवा उन व्यक्तियों अथवा अस्तित्वों जो उनकी ओर से अथवा उनके निदेश पर कार्य कर रहे हैं, द्वारा उस कार्य को करने अथवा उस कार्य में सहायता देने के लिए लगाया गया है जिसमें अन्य अवैध साधनों के माध्यम भी सम्मिलित हैं और यह सुनिश्चित करना कि उसके राष्ट्रिक अथवा उसके राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति अथवा इकाई द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा इकाई के लाभ के लिए निधियां, वित्तीय आस्तियां अथवा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने से रोका जा सके ।

(ङ) सभी सदस्य राज्य उनके राज्यक्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों के, उनके परिवार के सदस्यों सहित प्रवेश अथवा पारगमन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे, जिन्हें समिति अथवा सुरक्षा परिषद् द्वारा कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की नाभिकीय संबंधित कार्यक्रमों, बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों से जुड़ी कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की नीतियों का समर्थन या संवर्धन सहित अन्य बातों के लिए जिम्मेदार मानती हैं परंतु यह कि इस पैरा की कोई बात अपने राज्य में अपने राष्ट्रिकों के प्रवेश से इन्कार करने के लिए बाध्य न करता हो ।

(च) इस पैरा की अपेक्षाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने और उसके द्वारा नाभिकीय, रासायनिक अथवा जैविक हथियारों, उनके परिदान साधन और इनसे संबंधित सामग्रियों के गैर-कानूनी कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी सदस्य राष्ट्रों से अपने-अपने राष्ट्रीय प्राधिकरणों और विधायन के अनुसरण में तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि अनुसार यथा आवश्यक कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य में जाने वाले स्थोरा और वहां से चलने वाले स्थोरा की जांच सहित सहयोगी कार्रवाई करने के लिए आह्वान करता है ।

9. निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 8(घ) के उपबंध, संबंधित राष्ट्रों द्वारा निर्धारित की गई वित्तीय अथवा अन्य आस्तियों अथवा संसाधनों के लिए लागू नहीं होता है :

(क) संबंधित राज्यों द्वारा अधिकृत करने की अपने आशय की समिति को यह सूचना देने के पश्चात्, कि जहां उपयुक्त हो, ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों तथा समिति द्वारा इस अधिसूचना के पांच कार्य दिवसों के अन्दर नकारात्मक निर्णय की अनुपस्थिति में मूल खर्चों के लिए आवश्यक समझा जाने वाला जिसमें खाद्यसामग्री, किराये अथवा गिरवी रखने, दवाएं एवं चिकित्सोपचार, करों, बीमा की प्रिमियम और जन सुविधा शुल्कों का भुगतान अथवा मात्र उपयुक्त वृत्तिक शुल्कों का भुगतान शामिल है और अवरुद्ध निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों के नैमित्तिक धारण अथवा अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप कानूनी सेवाएं अथवा शुल्कों अथवा सेवा प्रभार के उपबंध के साथ वहन किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति ।

(ख) असाधारण व्ययों के लिए आवश्यक, बशर्ते कि ऐसा संकल्प संबंधित राज्यों द्वारा समिति को अधिसूचित किया गया हो और समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो, अथवा

(ग) न्यायिक, प्रशासनिक अथवा विवाचक धारणाधिकार अथवा निर्णय के अध्यधीन जिस मामले में निधियाँ अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ और आर्थिक संसाधनों का उपयोग इस बात के प्रति आश्वस्त करने के लिए किया जा सकता है, परंतु यदि धारणाधिकार अथवा निर्णय, वर्तमान संकल्प की तारीख के पहले दिया गया हो तो उपर्युक्त पैरा 8(घ) में उल्लिखित किसी व्यक्ति अथवा इकाई की पहचान सुरक्षा परिषद् अथवा समिति द्वारा की गयी है और इसे संबंधित राज्य द्वारा समिति को अधिसूचित किया गया है;

10. निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 8(ङ.) द्वारा किये गये उपाय वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ समिति मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लेती है कि ऐसी यात्रा धार्मिक दायित्वों सहित अन्य मानवीय आधार पर औचित्यपूर्ण है अथवा जिन मामलों में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसे किसी अपवाद से वर्तमान प्रस्ताव के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा;

11. सदस्य देशों से उपर्युक्त पैराग्राफ 8 के प्रावधानों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से उठाये गये कदमों पर इस प्रस्ताव को धारित किये जाने के तीस दिन के भीतर सुरक्षा परिषद् को रिपोर्ट करने का आह्वान करता है ।

12. अपनी अनन्तिम प्रक्रिया नियमावली के नियम 28 के अनुसार सुरक्षा परिषद् की एक समिति का गठन करने का निर्णय लेती है जिसमें परिषद् के सभी सदस्य होंगे और जो निम्नलिखित कार्य करेंगे :

(क) सभी राज्यों, विशेषकर वे जो उपर्युक्त पैरा 8(क) में उल्लिखित मदों, सामग्रियों, उपकरणों, सामानों और प्रौद्योगिकी का उत्पादन अथवा प्रसंस्करण कर रहे हैं, से इस संकल्प के उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत किये गये उपाय को क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना प्राप्त करना जिसे इस संबंध में वह उपयोगी मानता हो;

(ख) इस संकल्प के पैरा 8 द्वारा प्रावधान किये गये उपायों के तथाकथित उल्लंघन से संबंधित सूचना की जांच करना और उपयुक्त उपाय करना;

(ग) उपर्युक्त पैरा 9 और 10 में उल्लिखित उन्मुक्तियों के अनुरोधों पर विचार करना और निर्णय लेना;

(घ) उपर्युक्त पैरा 8(क)(i) और 8(क)(ii) के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट की जाने वाली अतिरिक्त मदों, सामग्रियों, उपकरणों, सामानों और प्रद्योगिकी के संबंध में निर्णय लेना;

(ङ) उपर्युक्त पैरा 8(घ) और 8(ङ) द्वारा प्रावधान किये गये उपायों के अध्यधीन अतिरिक्त व्यक्तियों और इकाइयों को नामित करना;

(च) इस संकल्प द्वारा प्रावधान किये गये उपायों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों की घोषणा करना;

(छ) कम से कम 90 दिनों में एक बार सुरक्षा परिषद् को अपनी टिप्पणियों और अनुशंसाओं, विशेषकर उपर्युक्त पैरा 8 द्वारा प्रावधान किये गये उपायों की प्रभावकारिता को संवर्द्धित करने के संबंध में रिपोर्ट करना;

13. कोरियाई प्रायद्वीप को सत्यापनीय अनाभिकीय करने और कोरियाई प्रायद्वीप तथा उत्तर-पूर्वी एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य पर तेजी से कार्रवाई करने के उद्देश्य से छह-दलीय वार्ता की शीघ्र बहाली को सुविधाजनक बनाने के लिए और ऐसी किसी कार्रवाई से बचने, जिससे कि तनाव में वृद्धि हो, सभी संबंधित सदस्य राज्यों द्वारा अपने-अपने राजनयिक प्रयासों को सघन करने के प्रयासों का स्वागत करता है और उसे प्रोत्साहित करता है ।

14. कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य का बिना किसी पूर्वशर्त के छह-दलीय वार्त्ताओं में तत्काल शामिल होने और चीन, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य पर तेजी से कार्रवाई के लिए मिल कर कार्य करने का आह्वान करता है ।

15. इस बात की पुष्टि करता है कि वह कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के कार्यों की निरंतर समीक्षा करेगा और संकल्प के उपबंधों का कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य द्वारा अनुपालन किये जाने के आलोक में उस समय आवश्यक उपायों को संवधित करने, संशोधित करने, स्थगित करने अथवा हटा लेने सहित उपर्युक्त पैरा 8 में निहित उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए तैयार रहेगा ।

16. इस बात को रेखांकित करता है कि यदि अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता पड़ी तो आगे निर्णय अपेक्षित होगा ।

17. इस मामले के प्रति जागरूक रहने के प्रति निर्णय लेता है ।

[सं. एल-152/2/2006]

के. सी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2007

S.O. 131 (E).—Whereas the Security Council of the United Nations adopted Resolution 1718 (2006) (appended to this Order as Schedule) on 14th October, 2006 in its 5551st meeting, under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all the States to take certain measures stipulated in paragraph 8 of the resolution.

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolution of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolution, namely :

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Implementation of Security Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea Order, 2007.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "Resolution" means the Resolution 1718(2006) of the Security Council of the United Nations adopted on 14th October, 2006 by the Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Democratic People's Republic of Korea;

(b) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.

3. Powers of the Central Government to give effect to the Resolution.—

The Central Government shall have all the powers to take measure to,

(a) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the Democratic People's Republic of Korea, through its territories or by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, and whether or not originating in its territories, of :

(i) any battle tanks, armoured combat vehicle, large caliber artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related material including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established by paragraph 12 of Resolution 1718(2006);

(ii) all items, materials, equipment, goods and technology as set out in the lists in documents S/2006/814 and S/2006/815, unless within 14 days of adoption of this resolution the Committee has amended or completed their provisions also taking into account the list in document S/2006/816, as well as other items, materials, equipment, goods and technology, determined by the Security Council or the Committee, which could contribute to DPRK's nuclear related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction related programmes;

(iii) Luxury goods;

(b) prohibit the export of any of the items mentioned in (a) (i), (a) (ii) and (a) (iii) above from Democratic People's Republic of Korea, and also to prohibit the procurement of such items whether or not originating in the territory of Democratic People's Republic of Korea, or using its flagged vessels or aircrafts;

(c) prevent any transfers to the Democratic People's Republic of Korea by its nationals or from its territory, or from the Democratic People's Republic of Korea by its nationals or from it territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in subparagraphs (a) (i) and (a) (ii) above;

(d) freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources which are on its territories at the date of the adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities designated by the Committee or by the Security Council as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by its nationals or by any persons or entities within its territory, to or for the benefit of such persons or entities;

(e) prevent the entry into or transit through its territories of the persons designated by the Committee or by the Security Council as being responsible for, including through supporting or promoting, Democratic People's Republic of Korea policies in relation to the Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that nothing in this paragraph shall oblige a state to refuse its own nationals entry into its territory;

(f) initiate co-operative action to prevent illicit trafficking in nuclear, chemical or biological weapons, their means of delivery and related materials, including through inspection of cargo to and from the Democratic People's Republic of Korea, as necessary, in accordance with its national authorities and legislation, and consistent with international law.

SCHEDULE

Resolution 1718 (2006)

14 October 2006

Adopted by the Security Council at its 5551st meeting, on 14 October, 2006

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004) and, in particular, resolution 1695 (2006), as well as the statement of its President of 6 October 2006 (S/PRST /2006/41),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing the gravest concern at the claim by the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) that it has conducted a test of a nuclear weapon on 9 October 2006, and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Expressing its firm conviction that the international regime on the non-proliferation of nuclear weapons should be maintained and recalling that the DPRK cannot have the status of a nuclear-weapon state in accordance with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Deploring the DPRK's announcement of withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and its pursuit of nuclear weapons,

Deploring further that the DPRK has refused to return to the Six-Party talks without precondition,

Endorsing the Joint Statement issued on 19 September 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States,

Underlining the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Expressing profound concern that the test claimed by the DPRK has generated increased tension in the region and beyond. and determining therefore that there is a clear threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. Condemns the nuclear test proclaimed by the DPRK on 9 October, 2006 in flagrant disregard of its relevant resolutions, in particular resolution 1695 (2006), as well as of the statement of its President of 6 October, 2006 (S/PRST/2006/41), including that such a test would bring universal condemnation of the international community and would represent a clear threat to international peace and security;
2. Demands that the DPRK not conduct any further nuclear test or launch of a ballistic missile;
3. Demands that the DPRK immediately retract its announcement of withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;
4. Demands further that the DPRK return to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, and underlines the need for all States Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to continue to comply with their Treaty obligations;
5. Decides that the DPRK shall suspend all activities related to its ballistic missile programme and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launching;
6. Decides that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes in a complete, verifiable and irreversible manner, shall act strictly in accordance with the obligations applicable to parties under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the terms and conditions of its International Atomic Energy Agency (IAEA) Safeguards Agreement (IAEA/INFCIRC/403) and shall provide the IAEA transparency measures extending beyond these requirements, including such access to individuals, documentation equipments and facilities as may be required and deemed necessary by the IAEA;
7. Decides also that the DPRK shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programme in a complete, verifiable and irreversible manner.
8. Decides that :

(a) All Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of:

(i) Any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related material including spare parts, or items as determined by the Security Councilor the Committee established by paragraph 12 below (the Committee);

(ii) All items, materials, equipment, goods and technology as set out in the lists in documents S/2006/814 and S/2006/815, unless within 14 days of adoption of this resolution the Committee has amended or completed their provisions also taking into account the list in document S/2006/816, as well as other items, materials, equipment, goods and technology, determined by the Security Council or the Committee, which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction related programmes;

(iii) Luxury goods;

(b) The DPRK shall cease the export of all items covered in sub-paragraphs (a) (i) and (a) (ii) above and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK;

(c) All Member States shall prevent any transfers to the DPRK by their nationals or from their territories, or from the DPRK by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture maintenance or use of the items in sub-paragraphs (a) (i) and (a) (ii) above;

(d) All Member States shall, in accordance with their respective legal processes, freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at the date of the adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities designated by the Committee or by the Security Council as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, DPRK's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any persons or entities within their territories, to or for the benefit of such persons or entities;

(e) All Member States shall take the necessary steps to prevent the entry into or transit through their territories of the persons designated by the Committee or by the Security Council as being responsible for, including through supporting or promoting, DPRK policies in relation to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that nothing in this paragraph shall oblige a state to refuse its own nationals entry into its territory;

(f) In order to ensure compliance with the requirements of this paragraph, and thereby preventing illicit trafficking in nuclear, chemical or biological weapons, their means of delivery and related materials, all Member States are called upon to take, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, cooperative action including through inspection of cargo to and from the DPRK, as necessary;

9. Decides that the provisions of paragraph 8 (d) above do not apply to financial or other assets or resources that have been determined by relevant States :

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) To be subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person referred to in paragraph 8 (d) above or an individual or entity identified by the Security Council or the Committee, and has been notified by the relevant States to the Committee;

10. Decides that the measures imposed by paragraph 8 (e) above shall not apply where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligations, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of the present resolution;

11. Calls upon all Member States to report to the Security Council within thirty days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively the provisions of paragraph 8 above;

12. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council, to undertake the following tasks:

(a) To seek from all States, in particular those producing or possessing the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 8 (a) above, information regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed by paragraph 8 above of this resolution and whatever further information it may consider useful in this regard;

(b) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations of measures imposed by paragraph 8 of this resolution;

(c) To consider and decide upon requests for exemptions set out in paragraphs 9 and 10 above;

(d) To determine additional items, materials, equipment, goods and technology to be specified for the purpose of paragraphs 8 (a) (i) and 8 (a) (ii) above;

(e) To designate additional individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 8 (d) and 8 (e) above;

(f) To promulgate guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed by this resolution;

(g) To report at least every 90 days to the Security Council on its work, with its observations and recommendations, in particular on ways to strengthen the effectiveness of the measures imposed by paragraph 8 above

13. Welcomes and encourages further the efforts by all States concerned to intensify their diplomatic efforts, to refrain from any actions that might aggravate tension and to facilitate the early resumption of the Six-Party Talks, with a view to the expeditious implementation of the Joint Statement issued on 19 September, 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States, to achieve the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula and to maintain peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia;

14. Calls upon the DPRK to return immediately to the Six-Party Talks without precondition and to work towards the expeditious implementation of the Joint Statement issued on 19 September, 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States;

15. Affirms that it shall keep DPRK's actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in paragraph 8 above, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at that time in light of the DPRK's compliance with the provisions of the resolution;

16. Underlines that further decisions will be required, should additional measures be necessary;

17. Decides to remain actively seized of the matter.

[No. L-152/2/2006]

K.C. SINGH, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.